

**अनुदान संख्या 34 - वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां**  
**GRANT No. 34-PAYMENTS TO FINANCIAL INSTITUTIONS**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	3102,47,00		
पूरक	Supplementary	2009,74,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	5112,21,00	3589,03,17	-1523,17,83
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	988,03,00		
पूरक	Supplementary	743,03,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	1731,06,00	1252,88,36	-478,17,64
				1523,16,83
				478,10,35

**टीका और टिप्पणियां**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (152317.83 लाख रु.) अगस्त, 2005, दिसंबर, 2005 और मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 200974.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 76 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

**Notes and comments**

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.152317.83 lakhs) constituted 76 percent of the supplementary grants of Rs.200974.00 lakhs obtained in August, 2005, December, 2005 and March, 2006 and 30 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"			
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare			
मू.	O.	26920.00		
पू.	S.	100500.00	194459.00	194459.00
पु.	R.	67039.00		..

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय		अधिक व्यय+
			Actual expenditure	Excess+	बचत- Saving-
(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)					
मुख्य शीर्ष "2416" कृषि वित्तीय संस्थाएं	Major Head "2416" Agricultural Financial Institutions				
मू.	O.	63299.00	3544.50	3544.50	. .
पू.	S.	469.00			
पु.	R.	-60223.50			
मुख्य शीर्ष "2885" उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlay on Industries and Minerals				
मू.	O.	85458.00	141825.17	141825.16	-0.01
पू.	S.	100003.00			
पु.	R.	-43635.83			
मुख्य शीर्ष "3465" सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाएं	Major Head "3465" General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	120500.00	2136.00	2136.00	. .
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-118365.00			
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services				
मू.	O.	1371.00	4271.84	4271.85	+0.01
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	2899.84			

(I) 121103.00 लाख रु. का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 121000.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.121103.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these Rs.121000.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "3465" - "सामान्य वित्तीय संस्थाएं - सामान्य वित्तीय संस्थाओं को सहायता" -

(A) Major Head "3465" - "General Financial Institutions - Assistance to General Financial Institutions" -

(क) “अवसंरचना विकास वित्तीय कंपनी लि. को अनुदान”- 500.00 लाख रु. बाह्य सहायता को संयुक्त राष्ट्र सहायता से स्वीकृत कराने के लिए नियंत्रक सहायक लेखा और लेखापरीक्षा से परामर्श प्राप्त न होने के कारण थे।

(ख) “भारतीय यूनिट ट्रस्ट को सहायता”- 120000.00 लाख रु. भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा प्रारंभ की गई दो आश्वासित प्रत्यागम स्कीमों को बंद किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष “3475” - “अन्य व्यय - भारतीय औद्योगिक विकास बैंक”- 500.00 लाख रु. विनिमय दर में अनुकूल परिवर्तन होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष “2416” - “अन्य व्यय - राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक को अनुदान” के अंतर्गत 60999.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 469.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 61468.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, अल्पावधि जमा संरचना को पुनः जीवित करने के लिए कार्य बल की सिफारिशों के अनुसार निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण 60105.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2885” - “औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं - अन्य व्यय - प्रतिबलित परिसंपत्ति स्थिरीकरण निधि संबंधी प्रतिभूतियों का मोचन” के अंतर्गत 100000.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं तथापि, जो, कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रचालनात्मक होने के कारण 86600.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(IV) मुख्य शीर्ष “2235” - “अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम - अन्य व्यय - वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम को अदायगी” के अंतर्गत 2460.00 लाख रु. की बचत (26919.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय जीवन बीमा निगम से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) “Grant to Infrastructure Development Financial Company Ltd.” - Rs.500.00 lakhs - due to non-receipt of advice from Controller of Aid Accounts and Audit for passing external Assistance to US AID.

(b) “Assistance to Unit Trust of India” - Rs.120000.00 lakhs - due to closure of two Assured Return Schemes floated by the Unit Trust of India.

(B) Major Head “3475”-“Other Expenditure - Industrial Development Bank of India” - Rs.500.00 lakhs - due to favourable exchange rate variation.

(II) Under Major Head “2416” - “Other Expenditure - Grants to National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD)” - the original provision of Rs.60999.00 lakhs was augmented to Rs.61468.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.469.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.60105.00 lakhs (including supplementary grant) due to non-utilisation of funds as per the recommendations of task force to revitalise the short-term credit structure.

(III) Under Major Head “2885” - “Industrial Financial Institutions - Other Expenditure - Redemption of Securities to Stressed Assets Stabilisation Fund” - funds of Rs.100000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.86600.00 lakhs - due to the company becoming operational at the end of the financial year.

(IV) Under Major Head “2235”-“Other Social Security and Welfare Programme - Other Expenditure - Payment to Life Insurance Corporation of India for Pension Plan for Senior Citizens”-saving of Rs.2460.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.26919.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Life Insurance Corporation of India.

(V) मुख्य शीर्ष "2416" - "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि को अंशदान" के अंतर्गत 118.50 लाख की बचत (2300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुकूल विनिमय दर के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "2885" - "औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं - अन्य व्यय - भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अनुदान" के अंतर्गत 1260.31 लाख रु. की बचत (2200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुनःसंरचना की वजह से कम सहायता अनुदान जारी किए जाने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (119421.48 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 200974.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2235" - "अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम - अन्य व्यय - किसानों को ब्याज सहायता"- 69500.00 लाख रु.।

(खा) मुख्य शीर्ष "2885" - "औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं - अन्य व्यय" -

(क) "कर्जों पर ब्याज दर में रियायत के बदले आर्थिक सहायता"- 11945.72 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 11945.71 लाख रु. था।

(ख) "भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अनुदान" - 32029.76 लाख रु.।

(ग) "इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना के लिए कार्य-पूर्व खर्च"- 249.00 लाख रु.।

(गा) मुख्य शीर्ष "3465" - "सामान्य वित्तीय संस्थाएं - अन्य व्यय - इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट बैंक आफ इंडिया के अधीनस्थ ऋण पर भारतीय रिजर्व बैंक को उपचित ब्याज की अदायगी"- 2135.00 लाख रु.।

(V) Under Major Head "2416"- "International Co-operation-Contribution to International Fund for Agricultural Development"-saving of Rs.118.50 lakhs ( against the sanctioned provision of Rs.2300.00 lakhs) was due to favourable exchange rate.

(VI) Under Major Head "2885"- "Industrial Financial Institutions - Other Expenditure - Grants to Industrial Development Bank of India"-saving of Rs.1260.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2200.00 lakhs) was due to less release of Grants-in-aid owing to re-structuring.

2.(I) The above savings were partly (Rs.119421.48 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.200974.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes-Other Expenditure- Interest Subsidy to Farmers"- Rs.69500.00 lakhs.

(B) Major Head "2885" - "Industrial Financial Institutions - Other Expenditure"-

(a) "Subsidy in lieu of Concession in the rate of interest on Loans"- Rs.11945.72 lakhs. Actual excess, however, was Rs.11945.71 lakhs.

(b) "Grant to Industrial Development Bank of India" - Rs.32029.76 lakhs.

(c) "Pre-operative expenses for setting up of India Infrastructure Finance Company Limited" - Rs.249.00 lakhs.

(C) Major Head "3465" - "General Financial Institutions - Other Expenditure - Payment of accrued interest to Reserve Bank of India on subordinate debt of Infrastructure Development Bank of India" - Rs.2135.00 lakhs.

(घा) मुख्य शीर्ष "3475" - "अन्य व्यय - भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम बैंक" - 3562.00 लाख रु.।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (47817.64 लाख रु.) अगस्त, 2005, दिसंबर, 2005 और मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 74303.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 64 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 28 प्रतिशत हुईं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(D) Major Head "3475" - "Other Expenditure-Industrial Credit and Investment Corporation of India Bank" - Rs.3562.00 lakhs.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.47817.64 lakhs) constituted 64 percent of the supplementary grants of Rs.74303.00 lakhs obtained in August, 2005, December, 2005 and March, 2006 and 28 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
------------------------------	--	-----------------

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4885" उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4885" Other Capital Outlay on Industries and Minerals			
मू.	O.	35001.00		
पू.	S.	1.00	11000.00	11000.00
पु.	R.	-24002.00		..
मुख्य शीर्ष "5465" सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	Major Head "5465" Investment in General Financial and Trading Institutions			
मू.	O.	28000.00		
पू.	S.	50000.00	53000.00	53000.00
पु.	R.	-25000.00		..
मुख्य शीर्ष "5466" अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	Major Head "5466" Investment in International Financial Institutions			
मू.	O.	35802.00		
पू.	S.	24302.00	61295.65	61288.36
पु.	R.	1191.65		-7.29

(I) 15004.00 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 15000.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "4885" - "औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश - सार्वजनिक क्षेत्रों के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक के इक्विटी अधिमान शेयर को अंशदान" के अंतर्गत निवेश न किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष "4885" - "औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश - सार्वजनिक क्षेत्रों के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय निर्यात-आयात बैंक की शेयर पूंजी को अंशदान" के अंतर्गत 10000.00 लाख रु. की बचत (20000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एक्जिम बैंक की शेयर पूंजी को कम अंशदान किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "5465" - "सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश - सार्वजनिक क्षेत्रों के और अन्य उपक्रमों में निवेश- भारतीय जीवन बीमा निगम में सामान्य आरक्षित निधि के लिए निवेश" के अंतर्गत 25000.00 लाख रु. की बचत (28000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जीवन बीमा निगम से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (2195.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 74303.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध-II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) मुख्य शीर्ष "4885" - "औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश - सार्वजनिक क्षेत्रों के और अन्य उपक्रमों में निवेश - इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को इक्विटी सहायता"- 999.00 लाख रु.।

(II) मुख्य शीर्ष "5466" - "अफ्रीकी विकास निधि को अंशदान" - 1196.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1195.11 लाख रु. था।

(I) Provision of Rs.15004.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.15000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4885" - "Investment in Industrial Financial Institutions - Investment in Public Sector and other Undertakings - Subscription to Equity Preference Shares of Industrial Investment Bank of India (IIBI)" - due to non-investment.

(II) Under Major Head "4885" - "Investment in Industrial Financial Institutions - Investment in Public Sector and other Undertakings - Subscription to the Share Capital of Export-Import Bank of India"- saving of Rs.10000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.20000.00 lakhs) was due to less subscription to share capital of Exim Bank.

(III) Under Major Head "5465" - "Investment in General Financial Institutions - Investment in Public Sector and other Undertakings - Investment for General Reserve in L.I.C."- saving of Rs.25000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.28000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Life Insurance Corporation.

4. The above savings were partly (Rs.2195.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.74303.00 lakhs and vide Annexure-II to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(I) Major Head "4885" - "Investment in Industrial Financial Institutions - Investment in Public Sector and other Undertakings - Equity support to India Infrastructure Finance Company Ltd."-Rs.999.00 lakhs.

(II) Major Head "5466" - "Subscription to African Development Fund"- Rs.1196.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1195.11 lakhs.